

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 111/2021 दिनांक: मार्च, 20/2021

प्रेस नोट

दिनांक 19.03.2021 को थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर पचरांव तिराहे के पास से जय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह निवासी ग्राम मुस्तफाबाद नई कोट थाना चौबेपुर जनपद-वाराणसी को समय करीब 18.05 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमन्चा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. जय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह निवासी ग्राम मुस्तफाबाद नई कोट थाना चौबेपुर जनपद-वाराणसी उम्र करीब 42 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

2. 01 अदद अवैध देशी तमन्चा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

3. थानाध्यक्ष राजेश त्रिपाठी, उ0नि0 मो0 सरवर, उ0नि0 आदित्य मिश्रा, हे0का0 रमेश चन्द पाण्डेय व हे0का0 अरविन्द वर्मा थाना चौबेपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 112/2021 दिनांक: मार्च, 20/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 20.03. 2021को थाना जैतपुरा के उ0नि0 रामसागर गुप्ता मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के नाटी इमली चौराहे पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति जो अपराधी किस्म का है अपराध कारित करता है नशीला पाउडर लेकर डिगिया चौराहे के पास है और किसी का इंतजार कर रहा है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर, मुखबिर की निशादेही पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम डीएम उर्फ डमरु चौहान पुत्र स्व .प्रभु चौहान निवासी म.नं .एस 36/21 पंचकोशी थाना सारनाथ जनपद वाराणसी बताया। अभियुक्त के कब्जे से पाउडर सफेद भूरा रंग का प्लास्टिक की पन्नी में बरामद हुआ जिसके संबंध में थाना जैतपुरा में मु.अ.स. 58/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर, अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ –

गिरफ्तारी व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि मेरे पास जो यह नशीला पाउडर है इसको लोगो को खिलाकर मैं उसका सामान लूटकर भाग जाता हूँ ।

गिरफ्तारी अभियुक्त का विवरण–

डीएम उर्फ डमरु चौहान पुत्र स्व .प्रभु चौहान R/O म.नं .S 36/21 पंचकोशी थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 27 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

4. 52 ग्राम नशीला पाउडर

गिरफ्तारी/बरादमगी करने टीम वाली पुलिस टीम का विवरण -

उ०नि० रामसागर गुप्ता, उ०नि० सूरजकान्त पाण्डेय, का० धीरेन्द्र यादव, का० प्रदीप सिंह पटेल
थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 113/2021 दिनांक: मार्च, 20/2021

प्रेस नोट

थाना शिवपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-0329/2014 धारा-376/506 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश पटेल पुत्र राधेश्याम पटेल निवासी समईपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी को पुलिस अधीक्षक नगर वाराणसी, थाना शिवपुर व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 20.03.2021 को मा0 विशेष न्यायालय पाक्सो जनपद वाराणसी द्वारा 08 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0- 20,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 114/2021 दिनांक: मार्च, 20/2021

प्रेस नोट

थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर के अभियुक्त परवेज अहमद पुत्र इरशाद द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से क्रय किये गये चार पहिया वाहन UP65BX1300 महिन्द्रा थार जीप (अनुमानित कीमत रू0-5,00,000/-) को गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी साथ ही चौकाघाट डबल मर्डर में अभियुक्तगण विजेन्द्र सिंह पुत्र विजय बहादुर के मो0सा0 UP62AW5089 (अनुमानित कीमत रू0 35,000/-) व अभिनव सिंह पुत्र चन्द्रशेखर सिंह की मो0सा0 UP65BH4757 सुपर स्प्लेण्डर (अनुमानित कीमत रू0 35,000/-) को भी गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण

1. परवेज अहमद पुत्र इरशाद अहमद नि0 एस 17/178 सी नदेसर थाना कैण्ट वाराणसी
 - जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण वाहन सं. UP65 DX1300 महिन्द्रा थार जीप (अनुमानित कीमत रू0 5,00,000/-)
 - पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 मु0अ0स0 236/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट
2. विजेन्द्र सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह नि0 पहाड़ी पट्टी थाना केराकत जनपद जौनपुर
 - जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण मो0सा0 UP62AW5089 (अनुमानित कीमत रू0 35,000/-)
 - पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 मु0अ0स0 04/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट
3. अभिनव सिंह पुत्र चन्द्रशेखर सिंह नि0 खजूरी थाना लालपुर पाण्डेयपुर जनपद वाराणसी
 - जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण मो0सा0 सं0 UP65BH4757 सुपर स्प्लेण्डर (अनुमानित कीमत रू0 35,000/-)
 - पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 मु0अ0स0 04/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 115/2021 दिनांक: मार्च, 20/2021

प्रेस नोट

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 20.03.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108, 102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 198 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 4332 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 577 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 163 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 2443 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया साथ ही 07 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही एवं 160 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।